IV 02/2019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 400231

★★★ 26 DEC 2018 ★★★

11.1.19

श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 11.01.2019 को सैदपुर, गाजीपुर में बाबूराम यादव पुत्र स्व0 मुखराम, ग्राम – रस्तीपुर, पोस्ट– सैदपुर विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर, जनपद – गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर 5000/–(पाँच हजार रुपये) की राशि है जिसे वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यायकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यायकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्टी का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपकर ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पाँच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम– हहराकलाँ, पोस्ट– सैदपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर, जिला – गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम – हहराकलाँ, पोस्ट– सैदपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर जिला – गाजीपुर होगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है –

बाबूराम यादव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 DEC 2018

गाजीपुर

EN 400232

श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं पुस्तकालयों, वाचनायलयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, स्वस्थ उत्थान केन्द्रों, की स्थापना करना, नामकरण, विकास सम्बद्व आबद्व, प्रबन्धन,संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्थानों, शासन आदि से मान्य सम्बद्व, आबद्व पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धी आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण बोर्ड, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समजा कल्याण सहालकार बोर्ड, महिला कलयाण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिये हास्टल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

বাবু

১০০১

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862520

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार –पत्रों इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण, बिक्री, एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं, परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु अनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि संविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन करना, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजो, इंजिनियरिंग कालेजों, को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उनका प्रचार–प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र/ पत्रिकायें, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्री, कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/ मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरंणीय सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862520

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार –पत्रों इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं, परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु अनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि संविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन करना, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजो, इंजिनियरिग कालेजों, को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उनका प्रचार–प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र/ पत्रिकायें, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्री, कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/ मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरणीय सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

1/14/2019

14228

87/011079

वरिष्ठ कोषाधिकारी

18 DEC 2018

गाजीपुर

न्यास पत्र

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री बादूराम यादव ,
पुत्र श्री स्व० नुखराम
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम रस्तीपुर पोस्ट सैदपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनॉक 14/01/2019 एवं 03:57:41 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पद्मा सिंह
उप निबंधक :सैदपुर
गाजीपुर
14/01/2019

ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862521

32. विभिन्न आयोजनों एंव कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों , विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवायें/ वस्तुओं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खण्डजा, तालाबों, का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन, आदि का प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तिय लाभ के लिये ही कार्य नही करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतुही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयता व निर्यात करना।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला,प्रदेश एवं देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
41. दलित/ पिछड़ों / अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर , राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
42. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी,सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलों का निर्माण करना।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★★★ 18 DEC 2018 ★★★
गाजीपुर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि के पत्र/लेखानुसार उक्त

स्थावी।

श्री बाबूराम यादव, पुत्र श्री स्व० मुखराम

निवासी: ग्राम रस्तीपुर पोस्ट सैदपुर विकास खण्ड सैदपुर तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नितेश कुमार सिंह , पुत्र श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह

निवासी: ग्राम रमरेपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री ओमप्रकाश सिंह यादव , पुत्र श्री बेचन सिंह यादव

निवासी: साकिन भैनपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी :

पद्मा सिंह
उप निबंधक : सैदपुर
गाजीपुर

ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BS 862522

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री बाबूराम यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी, अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/ हस्तानान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का पद किसी को भी प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।
4. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी / मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड क्राके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/ इच्छा/ व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगीं
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तानान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।
6. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बाबूराम यादव

14-2-30

श्री बाबू राम जनसेवा

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★★★ 18 DEC 2018 ★★★
गाजीपुर

15-2

कार्यालय उप नियंत्रक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862523

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होंगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना,स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। उस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

1. यह कि अध्यक्ष/ ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का निर्णय की अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/ भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाना है तो ट्रस्टी/ अध्यक्षस्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।

श्री बाबूराम S/o ...

S/o पु० बाबूराम ...

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2018
गाजीपुर

रामा राम
...नं० ... 128
15-2

UTTAR PRADESH

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862524

कार्य क्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को यह विशेषाधिकारी प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/ अस्वीकृत संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तरपर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो भी सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

सचिव/ उपसचिवों की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/ उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधायें, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उक्त सचिव/ उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/ अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित/ प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षों के वेतन भत्तें, सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निशिचित किये जायेगें।

क्र. सं. 14232 दिनांक 17-12-2018

श्री बाबू राम

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★★★ 18 DEC 2018 ★★★
गाजीपुर

रामा राम
लाइसेंस नं. 128
1520

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862525

3. यह कि उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित कर सकता है।

अध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य –

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें –

क)–बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उनकी अध्यक्षता करना।

ख)–ट्रस्ट के सभी कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

ग)– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/ परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष/ ट्रस्टी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विचार –विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष की अनुमति के कोइ निर्णय नही ले सकता ।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

सचिव के समस्त कार्यो के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है, ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

ओंकारनाथ पाठक

वरिष्ठ कोषाधिकारी

10 DEC 2018

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862526

3– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक /प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4– विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी/ विभागों/ केन्द्रों/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/ निर्देशकों/ पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/ उपनियम बना सकना।

5– ट्रस्ट/ संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।

6– एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना।

7– प्रचास/ प्रसार/ मुद्रण/ प्रकाशन/ वितरण/ विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8–जन सामान्य के कल्याणर्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों / कर्तव्यों का पालन करनाजो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/ कर्तव्यों का पालन करना।

बैंक एकाउण्ट का संचालन करना :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैक में खोला जा सकेगा,मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वय अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान / केन्द्र/ कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्टी के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

लालूराम यादव

क्र० सं० 14234 ... की तिथि 7-1-2019

स्टाम्प जारी करने ... श्री बाबू राम स्टाम्प विक्रेता [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम ... गाजीपुर

... की मालियत ...

SU बाबूराम यादव S/O मुसाफिर [illegible]

वरिष्ठ कोषाधिकारी
★★★ 18 DEC 2018 ★★★
गाजीपुर

[signature]

रामा राम
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-128
[illegible] /5:20
[illegible] गाजीपुर

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862527

विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्था / ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव/ अध्यक्ष की अनुमति से अधिवकत की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायलयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1– ट्रस्टी, चल/ अचल सम्पति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2– ट्रस्ट की ओर से चल/ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/ लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3– ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की आरे से चल/ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख– विलेख बनाने एवं निर्णयकरने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत हैं।

4– ट्रस्ट चल/ अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है,किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

5–ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह भेट,सम्मान, पुरस्कारद्वद्व स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6– ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/ सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7– चल/ अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति, भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भरित गिरवी, विभाजन आदि कर सकता है/ ले सकता है, दे सकता है।

साधूराम यादव

14235 7-1-2019

श्री बाबू राम

गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2018
गाजीपुर

रामा राम
128

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, जनपद-गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862528

अन्य प्रतिबन्ध :–

सी0बी0एस0सी0 एवं आई0सी0एस0सी0 से मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जति/ अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नही किया जायेगा और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डी एजुकेशन, नई दिल्ली/ कौसिंल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कम्रचारियों को राजकीय सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा तथा विद्यालय को विभाग/ शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार्य है इस आशय का प्रस्ताव प्रबन्धाधिकरण का प्रस्ताव संलग्न किया जायेगा।

बाबूराम यादव

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★★★ 18 DEC 2018 ★★★

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862529

विशेष :–

क) – इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ इकाई/ कार्यालय/ संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/ उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु वह इस डीड आफ ट्रस्ट **श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/ उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

ख) अध्यक्ष/ ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/ किन्ही परिस्थितियों मं इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्ही प्राविधानों/ प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/ प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवके व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित घोषित, स्वीकृत,आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थितियों में हस्ताक्षर कर दिये गये।

(बाबूराम यादव)
(संस्थापक/ अध्यक्ष)
श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट
डहराकलाँ, सैदपुर – गाजीपुर

बाबूराम यादव

15 23 — 7-1-2013

श्री बाबु राम

गाजीपुर / परिषद

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2013
गाजीपुर

बाबू राम

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 862530

साक्षीगण –

निलेश कुमार सिंह

1. नाम :– निलेश कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह

पूरा पता : रमैरपुर पर० तह० सैदपुर गाजीपुर

ओमप्रकाश सिंह यादव

2. नाम :– ओमप्रकाश सिंह यादव पुत्र कंचन सिंह यादव

पूरा पता :– ग्रा० भैनपुर पर० तह० सैदपुर गाजीपुर

दिनांक :– 11.1.19

हस्ताक्षरकर्ता –

राजेन्द्र प्रसाद

14238 7-1-2019
जमा
श्री नाथूराम, द्वारा

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2018
गाजीपुर

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 42 के पृष्ठ 209 से 234 तक क्रमांक 2 पर दिनॉक 14/01/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

पद्मा सिंह
उप निबंधक : सैदपु
गाजीपुर
14/01/2019

कार्यालय उप निबन्धक, सैदपुर, गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

प्रिंट करें

श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट, डहराकलाँ, सैदपुर – गाजीपुर में ट्रस्ट के सदस्यों की सूची

क्रम	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री बाबूराम यादव	स्व0 मुखराम	ग्राम–रस्तीपुर, पोस्ट– सैदपुर जनपद– गाजीपुर	अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी	कृषि
2	शोभा	श्री रविन्द्र	ग्राम–रस्तीपुर, पोस्ट– सैदपुर जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
3	श्री शशिकान्त	श्री रामचन्दर	ग्राम–अहिरौली, पोस्ट–तरांव जनपद –आजमगढ	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
4	श्री कन्हैया	श्री कल्पनाथ	ग्राम– कुड़वाँ, पोस्ट–गौरा जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
5	श्री रामजी	श्री महंगी	ग्राम–डहराखुर्द, पोस्ट–डहरा, जनपद–गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
6	श्री बृजमोहन	श्री बाबूराम	ग्राम–रस्तीपुर, पोस्ट– सैदपुर जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
7	श्री विनीत कुमार यादव	श्री लालजी	ग्राम–भद्रसेन,पोस्ट–डहराकलां जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	नौकरी
8	श्री प्रमोद कुमार	श्री रमायन	ग्राम–भद्रसेन,पोस्ट–डहराकलां जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि
9	श्री रविन्द्र	श्री बाबूराम	ग्राम–रस्तीपुर, पोस्ट– सैदपुर जनपद– गाजीपुर	ट्रस्टी सदस्य	कृषि

बाबूराम यादव

श्री बाबूराम जन सेवा ट्रस्ट

अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी

श्री बाबूराम जनसेवा ट्रस्ट

डहराकलाँ, सैदपुर – गाजीपुर